न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0कृति व्यास , उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

प्रकरण संख्या—61 / 2025   प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा.ले.रे.एक्ट

जीतमल धाकड़ पिता लालू धाकड़, जाति धाकड़, आयु 61 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम पीपल्दा तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

......प्रार्थी

विरूद्व

1. पेमा लाल पुत्र भंवर लाल भील, जाति भील, उम्र बालिग, निवासी ग्राम पीपल्दा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
2. नारायण लाल पुत्र नन्दा जी धाकड़, जाति धाकड़, उम्र बालिग, निवासी ग्राम पीपल्दा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।
3. श्री भूमिधारी जरिये श्रीमान् भूमिधारी तहसीलदार साहब रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान।

............विपक्षीगण

<u>निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू—राजस्व अधिनियम</u>

प्रार्थी की ओर से उपस्थित :— **श्री बाबूराम देराश्री**

अप्रार्थी की ओर से :— **पेरोकार सरकार।**

दिनांकः— 23.03.2026

—:आदेशः—

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया हैं कि ग्राम किशनपुरिया प0ह0 तम्बोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका नया खाता संख्या 19 पुरानी खाता संख्या 17 खसरा संख्या 274, 275 रकबा 2.4500 है0, भूमि प्रार्थी के नाम सम्पूण खातेदारी हक से दर्ज रिकार्ड होकर प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की हैं ।

प्रार्थी ने प्रार्थना—पत्र द्वारा निवेदन किया कि खसरा संख्या 274, 275 के पड़ौसी खातेदार व प्रार्थी के बीच कृषि आराजीयात पर फसल बुवाई और फसल कटाई को लेकर व पास मेब के बाडे में फसल को रखने को लेकर व आये दिन मेड, घास फुस को काटने व सीमाओं को लेकर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने निवेदन किया हैं कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजीयात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित कराये जावे। प्रार्थी की ओर से आराजीयात जैर बहस की नकल जमाबंदी एवं नक्शा ट्रैस प्रस्तुत किया गया हैं। प्रार्थी को सुना तथा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का निरीक्षण किया— प्रार्थी उक्त आराजीयात जैर बहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजीयात जैर बहस की नपती करा पत्थरगढ़ी कराने का अधिकार निहित है।

पत्रावली पर अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार रावतभाटा द्वारा प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रार्थना पत्र पर सहमति व्यक्त की गई। पत्रावली में उभय पक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उभय पक्ष को सुना गया पत्रावली का अवलोकन किया गया, तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा—128 रा.ले.रे. एक्ट को स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार रावतभाटा को प्रकरण हाजा में कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम किशनपुरिया प0ह0 तम्बोलिया तहसील रावतभाटा की जमाबन्दी सम्वत 2076—79 दर्ज रिकार्ड हैं। जिसका नया खाता संख्या 19 पुरानी खाता संख्या 17 खसरा संख्या 274, 275 रकबा 2.4500 है0, भूमि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक दर्ज रिकार्ड की फरिकेन मुकदमा को सूचित कर उनकी उपस्थिति में बंदोबस्ती नक्शे अनुसार बिना कब्जे में दखल दिये नपती की जाकर सही सीमा चिन्ह स्थापित किये जाने हेतु पत्थरगढ़ी की जावे एवं मौके पर कोई विवाद हो तो पुनः न्यायालय में पेश करें। पर्चा मौका एवं मौका ट्रैस 15 योम में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जावे। कमिश्नर फीस 1000 / —रूपये अक्षरे एक हजार रूपये प्रार्थी से वसूल किये जावे। प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर जा.दी. दायरी रजिस्टर नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।

यह निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय के इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official